जसलोक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र

बनाम

भारत संघ और अन्य

31 अक्टूबर 2007

[अशोक भान, हरजीत सिंह बेदी और वी.एस. सिरपुरकर, जेजे.]

सीमा शुल्क:

छूट अधिसूचना संख्या 64/88-सी.एस. दिनांक 1.3.1988- तालिका-पैरा 1 और 2-निर्धारितियों को सीमा शुल्क में छूट के प्रमाण पत्र पैरा 2 के तहत दिए गए - छूट दिए जाने की शर्तों में उल्लंघन के कारण सीमा शुल्क छूट (CDE) वापस ले ली गई- उसके 3/4 वर्ष बाद निर्धारितियों ने पैरा 2 से पैरा 1 में श्रेणी परिवर्तन का दावा किया- प्रतिपादितः सीडीई को वापस लेने का प्रभाव यह है कि करदाता अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के किसी भी खण्ड में छूट के हकदार नहीं है, अतः श्रेणी परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा सीडीई वापस लेने के 3-4 साल बाद श्रेणी परिवर्तन की मांग की गई है- यह स्पष्ट रूप से एक पश्चातवर्ती विचार था जिससे कि करदाता द्वारा छूट दिए जाने की शर्तों की पालना में असफल रहने की कमी को दूर किया जा सके।

अपीलकर्ता ने सीए नंबर 7284/2005 में अस्पताल उपकरणों के आयात के लिए अधिसूचना संख्या 64/88 दिनांक 1.3.1988 के अन्तर्गत वर्ष 1988 और 1994 के मध्य सीमा शुल्क छूट प्रमाण पत्र (CDE) प्राप्त किया। अपीलकर्ता को अधिसूचना के

साथ संलग्न तालिका के पैरा 2 के तहत वर्गीकृत किया गया था। उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 14.11.2000 के संवाद द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि अपीलार्थी अस्पताल उल्लिखित मरीजों को मुफ्त इलाज प्रदान करने की शर्त जो पैरा 2 में दी गई थी, का पालन करने में विफल रहा। 3 वर्ष की अवधि गुजरने के बाद अपीलीार्थी ने अधिसूचना में संलग्न तालिका के पैरा 1 के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाने हेतु आवेदन दिया है। आवेदन खारिज होने पर अपीलकर्ता ने रिट याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने राहत देने के लिए यह मानते हुए इनकार कर दिया कि अपीलकर्ता ने पंद्रह वर्षों के लिए पैरा 2 के तहत लाभ उठाया है इसलिए श्रेणी में परिवर्तन का दावा नहीं किया जा सकता है।

तात्कालिक अपीलों में; "शेयर मेडिकल केयर" के मामले पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ताओं के लिए यह तर्क दिया गया कि वे श्रेणी परिवर्तन के हकदार थे। वर्गीकरण में परिवर्तन का दावा करता है और संबंधित प्राधिकारी ने एेसा नहीं मानकर गलती की है।

कोर्ट द्वारा अपील खारिज करते हुए माना गया:

1. सीए नंबर 7284/2005 में मांगी गई राहत के लिए अपीलकर्ता हकदार नहीं है। अपीलकर्ता ने छूट की शर्तों की पालना नहीं कर, अधिसूचना में संलग्न तालिका के पैरा 2 के तहत जारी प्रमाण पत्र (CDEC) को वापस लिए जाने के संवाद दिनांक 14 नवम्बर, 2000 के लिए अपनी चुनाति छोड दी थी। सीडीईसी की वापसी का प्रभाव यह है कि अपीलकर्ता 14 नवंबर, 2000 या उसके बाद अधिसूचना के किसी भी खंड में छूट का हकदार नहीं है और, इसलिए, इसकी श्रेणी में बदलाव का कोई सवाल ही नहीं

उठता। ऐसा परिवर्तन केवल तभी संभव हो सकता था, यदि अपीलकर्ता ने डीजीएचएस के संवाद दिनांक 14 नम्बर, 2000 जिससे सीडीईसी को वापस किया गया था, के पहले परिवर्तन के लिए आवेदन किया होता। इसके अलावा, सीडीईसी की वापसी/रद्दीकरण के तीन वर्ष की समाप्ति पर श्रेणी में बदलाव की मांग पर अपीलकर्ता की इच्छा पर विचार नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट रूप से एक पश्चातवर्ती विचार था जिससे कि अपीलार्थी द्वारा पैरा 2 की शर्तों की पालना में असफल रहने की कमी को दूर किया जा सके।

[पैरा 17 और 18] [739-ए, बी, सी, डी, ई]

2. सीए नम्बर 5054/2007 ने सीडीईसी के वापस लिए जाने के चार वर्ष पश्चात आवेदन किया, जिस पर विचार नहीं किया जा सकता था आैर उच्च न्यायालय ने श्रेणी परिवर्तन को अस्वीकार करने के आदेश को सही ठहराकर सही किया है। [पैरा 19] (739-F)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 7284/2005.

रिट पिटिशन नम्बर 2613/2004 में बम्बई उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 17.12.2004 से

साथ में

सिविल अपील संख्या 5054/2007

अरूण जेटली, गौरव शर्मा, प्रतिभा सिंह, सुमीत:बीएमटीला, सुरभि मेहता (मनिंदर सिंह के लिए), वी. लक्ष्मी कुरर्मट: एलएन और आलोक यादव (एमपी देवनाथ के लिए) अपीलकर्ता के लिए।

अमरेंद्र शरण, एएसजी., के. राधाकृष्णन, ए.के. श्रीवास्तव, बिनूटम्टा, सी.वी.एस. राव, सुषमा सूरी और बी. कृष्णा प्रसाद उत्तरदाताओं के लिए

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

1. 2006 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 17577 में अनुमति दी गई।

2. यह निर्णय 2005 की सिविल अपील संख्या 7284 और 2006 की एसएलपी) संख्या 17577 से उत्पन्न सिविल अपील का निपटान करेगा।

3. सीए संख्या 7284/2005 बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 17 दिसंबर, 2004 को सीडब्ल्यूपी संख्या 2613/2004 में पारित फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है।

4. एसएलपी संख्या 17577 से उत्पन्न सिविल अपील रिट याचिका संख्या 5594/2006 में उसी उच्च न्यायालय द्वारा पारित 21 सितंबर, 2006 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

5. बाद वाले मामले को डब्ल्यूपी नंबर 2613/2004 मेसर्स में पारित आदेश दिनांक 17 दिसंबर, 2004 में दर्ज निष्कर्षों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। जसलोक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र बनाम भारत संघ और अन्य ।

6. चूंकि दोनों अपीलों में शामिल बिंदु समान हैं, इसलिए इस सामान्य निर्णय द्वारा अपीलों को एक साथ निपटान के लिए लिया जाता है।

7. संदर्भ की सुविधा के लिए तथ्य सीए नंबर 7284/2005 से लिए गए हैं।

8. अपीलकर्ता ने अधिसूचना संख्या 64/88-सीयूएस के तहत विभिन्न अस्पताल उपकरणों के आयात के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) से सीमा शुल्क छूट प्रमाणपत्र (संक्षेप में `सीडीईसी) प्राप्त किया। दिनांक 1 मार्च, 1988 (संक्षेप में अधिसूचना)। अपीलकर्ता को जारी किए गए सीडीईसी 1988 और 1994 के बीच की अवधि के लिए चिकित्सा उपकरणों के आयात से संबंधित हैं। सीडीईसी ने प्रमाणित किया कि अपीलकर्ता अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के पैरा 2 के तहत कवर किया गया था। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

1. ऐसे सभी अस्पताल जिन्हें उक्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है, ऐसे धर्मार्थ संगठन द्वारा चलाए जा रहे हैं या पर्याप्त रूप से सहायता प्राप्त हैं, जिन्हें समय-समय पर उक्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

2. ऐसे सभी अस्पताल जिन्हें प्रत्येक मामले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है, न केवल जाति, पंथ, नस्ल, धर्म या भाषा के भेदभाव के बिना चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या नैदानिक उपचार प्रदान करने के लिए चलाए जाएंगे। भी, - (ए) औसतन, उनके सभी आउटडोर रोगियों में से कम से कम 40 प्रतिशत को निःशुल्क; और

(बी) पांच सौ रुपये प्रति माह से कम आय वाले परिवारों के सभी इनडोर रोगियों के लिए निःशुल्क, और इस उद्देश्य के लिए अस्पताल के सभी बिस्तरों में से कम से कम 10 प्रतिशत ऐसे रोगियों के लिए आरक्षित रखना; और (सी) उचित शुल्क पर, या तो

संबंधित रोगियों की आय के आधार पर या अन्यथा, खंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट रोगियों के अलावा अन्य रोगियों से।

9. उक्त सीडीईसी को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा अपीलकर्ता के मुख्य कार्यकारी निदेशक को संबोधित अपने संचार क्रमांक Z.37024/13/92-MG दिनांक 14 नवंबर, 2000 के माध्यम से रद्द/वापस ले लिया गया था। आधार यह है कि अपीलकर्ता-अस्पताल ऊपर निकाली गई अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के पैरा 2 में निर्धारित शर्तों का पालन करने में विफल रहा है।

10. लगभग तीन वर्षों के बाद, अपीलकर्ता ने 24 सितंबर, 2003 को सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के पैरा 2 के बजाय पैरा 1 (नीचे निकाला गया) के तहत वर्गीकरण की मांग की गई। 1. ऐसे सभी अस्पताल जिन्हें उक्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है, ऐसे धर्मार्थ संगठन द्वारा चलाए जा रहे हैं या पर्याप्त रूप से सहायता प्राप्त हैं, जिन्हें समय-समय पर उक्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

11. उक्त अभ्यावेदन को डीजीएचएस ने अपने आदेश दिनांक 18 मार्च, 2004 द्वारा खारिज कर दिया।

12. अपने उपरोक्त अभ्यावेदन की अस्वीकृति के खिलाफ, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसमें डीजीएचएस द्वारा जारी 14 नवंबर, 2000 के संचार, अपीलकर्ता को दिए गए सीडीईसी को रद्द करने / वापस लेने और 18 मार्च के आदेश को चुनौती दी गई। , 2004, अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के पैरा 1 के तहत

अपीलकर्ता को वर्गीकृत करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता के वकील ने 14 नवंबर, 2000 के संचार को रद्द करने की प्रार्थना पर जोर नहीं दिया और चुनौती को केवल डीजीएचएस द्वारा पारित 18 मार्च, 2004 के आदेश तक सीमित रखा।

13. वर्ष 2003 तक, अपीलकर्ता ने इसे स्वीकार कर लिया और अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के पैरा 2 के तहत वर्गीकृत किए जाने से संतुष्ट था। 14 नवंबर, 2000 के संचार द्वारा उक्त सीडीईसी को वापस लेने/रद्द करने के बाद ही, वह भी लगभग तीन साल के अंतराल के बाद, अपीलकर्ता ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को एक अभ्यावेदन दिया। अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के पैरा 1 के तहत वर्गीकृत किए जाने के लिए।

14. अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व, जैसा कि ऊपर कहा गया है, डीजीएचएस द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि राज्य सरकार ने अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के पैरा 2 के तहत ही अपीलकर्ता के मामले की सिफारिश की थी, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करती है कि अस्पताल राज्य को 40 प्रतिशत आउटडोर मरीजों और उन सभी इनडोर मरीजों को मुफ्त इलाज प्रदान करना है जिनकी आय 500/- रुपये प्रति माह से कम है।

15. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा डीजीएचएस द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा है। यह माना गया है कि डीजीएचएस द्वारा पारित आदेश अप्रासंगिक या असंगत विचारों पर आधारित नहीं है। अपीलकर्ता लगभग पंद्रह वर्षों तक अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के पैरा 2 के तहत लाभ का आनंद लेने के बाद वर्गीकरण में

बदलाव का दावा नहीं कर सका। पंद्रह वर्षों की उक्त अवधि के दौरान, अपीलकर्ता ने उक्त तालिका के पैरा 1 के तहत इसके गैर-वर्गीकरण और उसके पैरा 2 के तहत इसके वर्गीकरण के संबंध में कोई शिकायत नहीं उठाई।

16. अपीलकर्ता के वकील का तर्क है कि अपीलकर्ता वर्गीकरण में बदलाव का दावा करने का हकदार था और डीजीएचएस ने यह मानने में गलती की है कि अपीलकर्ता अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के पैरा 2 से पैरा 1 तक अपने वर्गीकरण में बदलाव का दावा करने का हकदार नहीं था। . अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने शेयर मेडिकल केयर बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया था । [(2007) 4 एससीसी 573] जिसमें इसे इस प्रकार आयोजित किया गया है:

मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता की प्रार्थना पर विचार न करने के लिए डीजीएचएस के उप महानिदेशक (चिकित्सा) के पास जो आधार था, वह यह था कि पहले, छूट अधिसूचना की श्रेणी 2 के तहत छूट मांगी गई थी, न कि छूट अधिसूचना की श्रेणी 3 के तहत और श्रेणी 2 के तहत छूट वापस ले ली गई। यह शायद ही कानून की दृष्टि से टिकाऊ आधार है। इसके विपरीत, सुस्थापित कानून यह है कि यदि आवेदक दो अलग-अलग अधिसूचनाओं या दो अलग-अलग शीर्षकों के तहत लाभ का हकदार है, तो वह अधिक लाभ का दावा कर सकता है और यदि आवेदक अन्यथा हकदार है तो ऐसे लाभ देना अधिकारियों का कर्तव्य है। इसलिए, अधिसूचना की श्रेणी 3 के तहत छूट का दावा करने में अपीलकर्ता की प्रार्थना पर डीजीएचएस के उप महानिदेशक (चिकित्सा) की ओर से विचार न करना अवैध और अनुचित है। प्रार्थना पर विचार किया जाना चाहिए और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। अधिसूचना

की श्रेणी 2 के तहत छूट प्रदान करना या उक्त लाभ को वापस लेना, श्रेणी 3 के तहत छूट का दावा करने में आवेदक के रास्ते में नहीं आ सकता है यदि उसके तहत निर्धारित शर्तें पूरी हो गई हैं। उच्च न्यायालय ने भी वही त्रुटि की और इसलिए उच्च न्यायालय का आदेश भी उसी दुर्बलता से ग्रस्त है और रद्द किये जाने योग्य है।

17. ऊपर उल्लिखित निर्णय की प्रयोज्यता या अन्यथा के संबंध में प्रश्न पर जाए बिना, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता मांगी गई राहत का हकदार नहीं है। अपीलकर्ता ने छूट देने के लिए निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने के लिए अपीलकर्ता को जारी किए गए सीडीईसी को रद्द करने/वापस लेने के दिनांक 14 नवंबर, 2000 के संचार को अपनी चुनौती छोड़ दी थी। दिनांक 14 नवंबर, 2000 के संचार का प्रभाव यह है कि अपीलकर्ता 14 नवंबर, 2000 को या उसके बाद उपरोक्त अधिसूचना के किसी भी खंड के तहत छूट का हकदार नहीं है। तीन साल की समाप्ति के बाद अपीलकर्ता द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व सीडीईसी को रद्द करने/वापस लेने पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी श्रेणी में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के पैरा 2 के तहत अपीलकर्ता का वर्गीकरण पहले ही वापस ले लिया गया था। ऐसा परिवर्तन केवल तभी संभव हो सकता है यदि अपीलकर्ता ने सीडीईसी को वापस लेने/रद्द करने के डीजीएचएस दिनांक 14 नवंबर, 2000 के संचार को जारी करने से पहले अपने वर्गीकरण में बदलाव के लिए आवेदन किया हो।

18. इसके अलावा, सीडीईसी को वापस लेने/रद्द करने के तीन साल बीत जाने के बाद वर्गीकरण में बदलाव की मांग की गई थी। अपीलकर्ता की इच्छानुसार तीन वर्ष बीत जाने के बाद इस तरह के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जा सका। 2003 में अपीलकर्ता द्वारा दायर किया गया अभ्यावेदन, जिसमें अधिसूचना के साथ संलग्न

तालिका के पैरा 2 से पैरा 1 में श्रेणी बदलने की मांग की गई है, स्पष्ट रूप से शर्तों के अनुपालन में अपीलकर्ता की ओर से विफलता को दूर करने के लिए एक बाद का विचार है। अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के पैरा 2 में दिया गया है। 14 नवंबर, 2000 के संचार के तीन साल बीत जाने के बाद भी इस पर विचार नहीं किया जा सका।

19. 2006 की एसएलपी संख्या 17577 से उत्पन्न अपील में, अभ्यावेदन सीडीईसी की वापसी/रद्दीकरण के चार साल की समाप्ति के बाद दायर किया गया था, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में कहा गया था, उस पर विचार नहीं किया जा सकता था और उच्च न्यायालय ने वर्गीकरण परिवर्तन को अस्वीकार करने के आदेश को सही ठहराया है।

20. ऊपर बताए गए कारणों से, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए, सिविल अपीलें लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती हैं।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रूपल अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।